# आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा

## अल्पकालीन पुर्ननिविदा

आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के लिए 30KVA का जनरेटर सेट की आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान से निम्नांकित विवरणी एवं शर्तो पर मुहरबंद / सीलबंद निविदा आंमत्रित किया जाता है।

आपूर्ति की जानेवाली सामग्री की विवरणीः-

| Sl. | Details of Items | Qty |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 30KVA Silent Generator Set Single Phase (Make-Kirloskar,Ashok Leyland, Mahindra & Other reputed ISO Certified Brand ETC | 02 |

निविदा की अन्य शर्ते निम्नवत् हैः-

(1) निविदादाता को तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मोहरबन्द होना अनिवार्य होगा।

(2) अग्रधन संबंधी राशि मो0 10,000,00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, छपरा के पदनाम से निर्गत हो अथवा नगद राशि नाजिर रसीद के माध्यम से आयुक्त कार्यालय के नजारत में जमा करना होगा। तकनिकी निविदा के साथ मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) निविदादाता तकनिकी निविदा में सामग्री से संबंधित सभी विशिष्टियाँ अंकित करेंगे तथा क्रय समिति की बैठक में निर्धारित तिथि को कैटलॉग भी अपने साथ लायेंगे। क्रय समिति की बैठक में किस मॉडल की सामग्री का क्रय किया जाना है, इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(4) तकनिकी निविदा के साथ बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र / पैन कार्ड / आयकर रिटर्न पिछले तीन वर्षो की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) वित्तीय निविदा निम्नलिखित प्रपत्र में दायर करना होगाः-

| जनरेटर सेट का प्रकार (30KVA सिंगल फेज) | दर सभी करों सहित (रूपये में) | अधिष्ठापन हेतु लागत (रूपये में) | कुल राशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|
| | | | |

(6) वारंटी अवधि में सामग्री में किसी तरह की खराबी आने पर इसके बदले नये सामग्री की अपूर्ति करना होगा।

(7) निविदादाता का नाम बिहार सरकार / केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग / कार्यालय की काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए। इस आशय का फोटोयुक्त शपथ-पत्र मूलरूप में संलग्न करना होगा।

(8) आपूर्तिकर्त्ता को आपूरित सामग्री की गारंटी/वारंटी अवधि तक निःशुल्क अपने मैकेनिक से मरम्मत कराने का एकरारनामा करना होगा।

(9) सामग्री की निविदा दर किसी भी परिस्थिति में एम0आर0पी0 मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। सामग्री को लाने एवं ले जाने हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। साथ ही समर्पित दर में सभी तरह का टैक्स सम्मिलित होगा आपूर्तिकर्त्ता स्वयं किसी प्रकार के कर देयता के लिये जिम्मेदार होंगे।

(10) सभी करों सहित दर एवं अधिष्ठापन लागत को जोड़कर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा।

(11) चयनित निविदादाता यदि उपरोक्त विशिष्टियों के अनुरूप अनुमोदित दर पर निर्धारित अवधि में जनरेटर की आपूर्ति नहीं करते हैं तो जमानत की राशि जप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(12) तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 05.10.2017 को 01:00 बजे अप0 तक निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर या हाथों-हाथ आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय प्रकोष्ठ में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसे उसी दिन प्रमण्डलीय क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में 03:00 बजे अप0 में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार प्रमंडलीय क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

(13) कार्यादेश निर्गत होने की तिथि के सात दिनों के अंदर आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री आपूर्ति करना होगा।

(14) इस निविदा से संबंधित जानकारी Sarancom-bih@nic.in के website पर भी देखा जा सकता है।

ह0/-
आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमंडल, छपरा

ज्ञापांक ....1614.............. दिनांक ....11 · 9 · 17........।

प्रतिलिपिः- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (संलग्न 3 प्रति हार्ड कॉपी एवं 2 साफ्ट कॉपी)।

(2) आई0टी0 मैनेजर, NIC, छपरा को सूचनार्थ एवं आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित (अल्पकालीन पुर्ननिविदा की हार्ड कॉपी संलग्न)।

आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमंडल, छपरा